आचरण संहिता के पालन हेतु निर्धारित नीतियाँ

1. महाविद्यालय में पदस्थ कोई भी शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी वेतनमान पर पदस्थ हो वह छ. ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से नियंत्रित होगा। छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 को महाविद्यालय में पदस्थ शासकीय सेवकों हेतु आचरण संहिता माना जायेगा।
2. कार्यभारित तथा आकस्मिक व्यय से वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर भी छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 प्रभावशील होंगे।
3. महाविद्यालय में जैसे ही कोई सदस्य शासकीय सेवा में प्रवेश करेगा वह स्वेच्छा से इन नियमों एवं शर्तो को स्वीकार करेगा। इसके लिये पृथक से कोई अनुबंध या आदेश प्रसारित नहीं किया जायेगा।
4. महाविद्यालय के सभी सदस्य पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों एवं कृत्यों का निर्वहन करेंगे तथा ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो शासकीय सेवक के लिये अशोभनीय हो।
5. महाविद्यालय का कोई भी सदस्य/शासकीय सेवक शासन एवं महाविद्यालय प्रशासन की नीतियों के विरूद्ध आचरण नहीं करेगा और न ही और न ही आलोचना करेगा।
6. महाविद्यालय परिवार का कोई भी सदस्य ऐसा कोइ कृत्य नहीं करेगा–
    - जो कि उसके परिवार को सदसयों को लाभान्वित करें।
    - कोई भूमि या कोई संपत्ति परिवार के लिये किसी लाभ उद्देश्य से अवैध रूप से लाभ पहुंचाएं।
    - कार्यालयीन कार्य की प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों को अनुचित रूप से लाभ पहुंचाएं।
7. महाविद्यालय परिवार का कोई भी सदस्य चाहे वह अवकाश पर हो या प्रतिनियुक्ति पर या विदेश सेवा में हो सभी स्थिति में उस पर यह आचरण संहिता लागू होगी।
8. महाविद्यालनय प्रशासन का कोई भी सदस्य जो शासकीय या कार्यालय काम से दूसरे देश की यात्रा कर रहा है चाहे वह शासन या महाविद्यालय प्रशासन की नीतियों की आलोचना नहीं करेगा।
9. महाविद्यलाया प्रशासन का कोई भी सदस्य बिना अनुमति के कोई प्रेस वार्ता या सामचार प्रसारित नहीं करेगा।
10. महाविद्यालय प्रशासन का कोई भी सदस्य उसे सौंपे गये कार्य को निपटाने में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा।

11. अपने मृत्यों के पालन में अशिष्टता से कार्य नहीं करंगे तथा पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
12. महाविद्यालय प्रषासन के कोई भी दस्य उनको आबंटित शासकीय आवास को किसी अन्य को किराये पर या लाभ के उद्देश्य से नहीं देगा।
13. सभी सदस्य वैवाहिक आयु की सीमा, पर्यावरण संरक्षण, वन्य प्राणियों का संरक्षण, सांस्कृतिक विरासत एवं महिलाओं के प्रति अपराधिक कृत्यों की रोकथाम हेतु शासन की नीतियों का पालन करेंगे।
14. यदि किसी सदस्य के रहन–सहन का स्तर आय से अधिक प्रदर्शित होता है तो उससे स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है तथा सकी सनिष्ठा (**Uprightness, Honesty and Purity**) में संदेह उत्पन्न हो सकता है।
15. महाविद्यालय प्रशासन के सभी सदस्य अपनी कर्त्तव्यपरायणता निम्नानुसार सुनिश्चित करें–
    - समय पर कार्यालय में उपस्थित होना।
    - कार्यालयीन समयावधि में कार्यालयीन कार्य में संलग्न रहना।
    - सौंपे गये कार्यअपनी योग्यता एवं क्षमता के साथ करना।
    - कोई अवैधानिक कार्यन करना।
    - बिना पक्षपात किये शासन के निमयानुसार कार्य करना।
    - बिनास अवकाश की स्वीकृति तथा बिना सूचना के कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहना।
    - महाविद्यालय के विरूद्ध प्रदर्शन में भाग लेना।
    - अशोभनीय, अनुपयुक्त, अवांछनीय, अभद्र कृत्य एवं व्यवहार से बचना।
    - असत्य वचन तथा अभद्र भाषा के प्रयोग से बचना।
16. आचरण नियमों का उल्लंघन कदाचार (Misconduct)माना जायेगा।
17. महाविद्यालय प्रशासन का कोई सदस्य आचरण संहिता का पालन न केवल कार्यालयीन कार्य करते समय वरन उसके बाहर भी करेगा।

(Misconduct) कदाचार का अर्थः–

- ✓ कार्यालयीन कर्त्तव्यों के संबंध में अवैधानिक व्यवहार करना।
- ✓ आचरण में हठधर्मी
- ✓ अधिकार विहीन कार्य करना
- ✓ कार्यों में सरकारात्कता न लाना
- ✓ नियम के विपरीत कार्यकरना
- ✓ कोई वर्जित कार्य करना
- ✓ अनुचित या त्रुटिपूर्ण व्यवहार
- ✓ निश्चित तथा सुस्थापित नियम की कार्यवाही का उल्लंघन।
- ✓ कार्यालय की महिला कर्मचारी या अन्य महिला से छेड़छाड़ करना या अमर्यादित आचरण करना–
- ✓ कर्त्तव्य पर रहते हुए मादक पदार्थों का सेवन करना
- ✓ अवैध रूप से हड़ताल करना
- ✓ आय के ज्ञात स्त्रोतों के अनुपात से अधिक संपत्ति का अर्जन
- ✓ वरिष्ठ अधिकारियों की झूठी शिकायत करना
- ✓ अपनी संतानों की बिहित निर्धारित आयु से कम से विवाह करना
- ✓ विभागीय निर्देशों के अनुसार कर्या न करना
- ✓ वरिष्ठ अधिकारी से बिना आदेश प्राप्त किए कार्य करना
- ✓ सार्वजनिक अलोचना एवं प्रकाशन
- ✓ किसी राजनैतिक दल की विचारधारा का वाहक बनना।

18. महाविद्यालय प्रशासन के सभी सदस्य उचित माध्यम से ही अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे।
19. यदि कोई सदस्य अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई न्यायिक/अर्द्धन्यायिक आदेश पारित करता है तो वह सुसंगत आधारों पर आधारित हो तथा निष्पक्ष हो।
20. महाविद्यालय प्रशासन के सभी सदस्य उन्हें जिस कार्य के लिये पदस्थ किया गया है उस कार्य को निर्धारित अवधि के अंतर्गत संपादित करेंगे।
21. महाविद्यालय प्रशासन के कोई भी अवकाश चाहे वह आकस्मिक हो, अर्जित हो या किसी अन्य प्रकार का अवकाश की स्वीकृति एवं पूर्व सूचना अवश्यक है। क्योंकि अवकाश पर जाना किसी भी सदस्य का अधिकार नहीं है।
22. अवकाश की स्वीकृति के पश्चात् प्रस्थान तथा अवकाश अवधि की समाप्ति के पश्चात कर्त्तव्य पर उपस्थित होना आवश्यक होगा।

23. महाविद्यालय प्रशासन का यदि कोई सदस्य स्वीकृत अविधि के पश्चात भी अनुपस्थित रहता है तो उसे Over Stay of Leave माना जायेगा तथा अकार्य दिवस माना जायेगा।
24. अवकाश समाप्ति के पश्चात कर्त्तव्य से जानबूझकर अनुपस्थित रहने वाला सदस्य अनुशासनात्मक कार्यवही का भागी होगा।
25. महाविद्यालय प्रशासन के सभी सदस्यों को आकस्मिक अवकाश तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेना आवश्यक है।

उपरोक्त आचरण संहिता के नियमों का पालन न करने वाला महाविद्यालय परिवार का सदस्य अनुशासनहीता का दोषी माना जायेगा।

विद्यार्थियों हेतु आचरण संहिता

सामान्य नियम :–

प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेंगे किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अस्त्रों–शस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार रखेगा।
5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्त्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
6. महाविद्यद्वालय की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी के असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।

8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथ अपनी मांगों को मनवाने के लिये राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
9. छात्र रैगिंग में लिप्त नहीं रहेंगे।
10. विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में अपने वैध परिचय–पत्र के साथ ही प्रवेश करेंगे।

अध्ययन संबंधी नियम : –

1. प्रत्येक विद्यार्थी की 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एनएसएस में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रना नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा। उनकों स्वच्छ रखेंगे एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्ण ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।

स्नात्तकोत्तर सेमेस्टर परीक्षाओं के लिये महत्पूर्ण निर्देश : –

स्नात्तकोत्तर स्तर की सेमेस्टर परीक्षाओं में सेमीनार का प्रावधान किया गया है। विभाग द्वारा प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर हेतु नवंबर माह में एवं द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु अप्रैल माह में सेमिनार आयोजित किये जाते हैं सेमिनार आयोजन की तिथि एवं समय की सूचना संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना–पटल के माध्यम से ही जाती है। सेमिनार में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को अगले शिक्षा सत्र में संबंधित सेमेस्टर के सैद्धांतिक एवं सेमीनार दोनों में सम्मिलित होना होगा।